<table>
<tr><th>तारीख हुक्म</th><th>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
जितेन्द्र परिहार बनाम लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, पीपाड़ शहर)
सू.अ.अपील संख्या 227/2023</th><th>न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</th></tr>
<tr><td>26/09/23</td><td>अपीलार्थी जितेन्द्र परिहारनिवासी रातियों की ढाणी, तहसील भोपालगढ़, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 16/06/23 में हलका पटवारी बुचकला ग्राम बांकलिया तहसील पीपाड़ शहर के खसरा न. 325, 44, 127, 128, 129, 130, 44/1, 127/1, 128/1, 129/1, 130/1, 293, 290 मदनलाल, कनाराम, परसाराम पुत्र फुवाराम जाति माली खींयाराम, जयराम, बिरमराम, पुत्र घेवरराम जाति माली जो कि प्रार्थी के वंशज है, इनसे संबंधित समस्त भूमि में भूमि संबंधित प्राप्त प्रार्थना पत्र, नाम परिवर्तन, फौत होने की, नक्से में बदलाव, भूमि रूपांतरण विभिन्न अभियानों में संशोधन, आज दिनांक से गत 20 वर्ष तक के दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि से संबधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, पीपाड़ शहर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (तहसीलदार, पीपाड़ शहर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (तहसीलदार, पीपाड़ शहर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, पीपाड़ शहर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

(हिमान्शु गुप्ता)
जिला कलक्टर जोधपुर
जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)</td><td></td></tr>
</table>